

- |        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 1 - ग  | 26 - ग | 51 - ग |
| 2 - क  | 27 - ख | 52 - ख |
| 3 - ग  | 28 - घ | 53 - ग |
| 4 - घ  | 29 - ख | 54 - ख |
| 5 - घ  | 30 - घ | 55 - क |
| 6 - ग  | 31 - ग | 56 - ग |
| 7 - ग  | 32 - ग | 57 - घ |
| 8 - ग  | 33 - क | 58 - क |
| 9 - ग  | 34 - ख | 59 - ग |
| 10 - क | 35 - ग | 60 - क |
| 11 - घ | 36 - ख | 61 - घ |
| 12 - ख | 37 - ग | 62 - घ |
| 13 - घ | 38 - घ | 63 - ख |
| 14 - ख | 39 - ख | 64 - क |
| 15 - ख | 40 - घ | 65 - ग |
| 16 - घ | 41 - घ | 66 - घ |
| 17 - ख | 42 - घ | 67 - क |
| 18 - ग | 43 - ख | 68 - ख |
| 19 - घ | 44 - ख | 69 - ग |
| 20 - घ | 45 - ग | 70 - ग |
| 21 - ग | 46 - ग | 71 - घ |
| 22 - ख | 47 - क | 72 - ख |
| 23 - क | 48 - घ | 73 - क |
| 24 - ख | 49 - ग | 74 - घ |
| 25 - ग | 50 - ख | 75 - ग |

नोट :- उपरोक्त मॉडल उत्तर में यदि किसी अर्थी को कोई आपत्ति हो तो 10 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति सकाधि/मुख्यालय-11 एवं आरओपी0, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को अपने कंट्रोलिंग अधिकारी के माध्यम से लिखित में देने की व्यवस्था करें, 10 दिन के बाद की गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।